

2.9.2020

दिनांक 01.09.2020 का राज्य सरकार द्वारा आदेश घोषित होने के कारण पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। वकील उच्चमध्य उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रावर्तिग की बहस सुनी गई। वकील प्रावर्तिग ने कहा कि प्रावर्तिग फर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपलब्ध अधिकारी धौलपुर की आधीस कुशाए श्रीवास्तव आर०ए०एस के विकल्प प्रस्ताव किया गया। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है, अतः प्रावर्तिग इस प्रावर्तिग फर को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए प्रावर्तिग फर खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वकील अप्रावर्तिग

<p>दिनांक हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज जगतारसिंह बनाम उपखण्डाधिकारी धौलपुर 03/2020</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये</p>
	<p>ने श्री फुल्लन को खारिज किये जाने से अपनी सहभागी जाहिर की। पञ्चवली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव आर० ए० ए० तत्कालीन उपखण्डाधिकारी धौलपुर के विरुद्ध उल्लूक किया गया था। उनका स्थानान्तरण हो चुका है। अतः इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। फुल्लन फैसलेशुमार है। बाकि तकमील दफ्तर दाखिल है। नम्बर से कुम किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">(आर० के० जायसवाल) जिला कलेक्टर, धौलपुर</p>	